

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 46/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- i. क्रम संख्या 6क. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
 - ii. क्रम संख्या 6ख. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी;
 - iii. क्रम संख्या 6ग. के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित की जाएगी।
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/167/2024-टीआरयू]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. सं. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 27 सितम्बर, 2024, जिसे सा.का.नि. सं. 600 (अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।